अध्यात्म विभाग
मध्यप्रदेश शासन
मंत्रालय

क्रमांक-65 /आ.वि./आ.उत्सव/2018 भोपाल दिनांक 16.01.2020

प्रति,

समस्त आयुक्त/कलेक्टर्स,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
समस्त निगमायुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय:- आनंद उत्सव 2020 के आयोजन के संबंध में।

---00---

जीवंत सामुदायिक जीवन, नागरिकों की जिन्दगी में आनंद का संचार करता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुये विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी **दिनांक 14 से 28 जनवरी** के मध्य "आनंद उत्सव 2020" मनाया जाना है।

आनंद उत्सव का उद्देश्य नागरिकों में सहभागिता एवं उत्साह को बढ़ाने के लिये समूह स्तर पर खेल-कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना है। आनंद उत्सव की मूल भावना प्रतिस्पर्धा नहीं वरन सहभागिता होगी।

(2) आनंद उत्सव :-

1. आनंद उत्सव, नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आयोजित किए जायेगें। यह आयोजन **दो चरणों** में होंगे- **प्रथम चरण** में ग्राम व नगरीय क्षेत्र में, **द्वितीय चरण** में (वैकल्पिक) में जिला स्तर पर आयोजित किये जायेगे।

2. आनंद उत्सव में प्रमुख रूप से स्थानीय तौर पर प्रचलित परम्परागत खेल-कूद जैसे कबड्डी, खो-खो, बोरा रेस, रस्सा कसी, चेअर रेस, पिठ्ठू/ सितोलिया, चम्मच दौड़, नीबू दौड़ आदि तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे लोक संगीत, नृत्य, गायन, भजन, कीर्तन, नाटक आदि एवं स्थानीय स्तर पर तय अन्य कार्यक्रम किये जा सकेंगें।

3. आनंद उत्सव के सन्दर्भ में तय की गई उपरोक्त गतिविधियों को जिस स्थान पर आयोजित किया जावेगा, उस स्थान को **"आनंद उत्सव स्थल"** कहा जायेगा।

4. आनंद उत्सव का आयोजन इस तरह से किया जायेगा कि समारोह की गतिविधियों में समाज के सभी वर्गों यथा- महिला-पुरूष, सभी आयु वर्ग के नागरिक, दिव्यांग आदि शामिल हो सकें। इस कार्यक्रम में 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के महिला/पुरूषों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाये। **ध्यान रहे की यह केवल स्कूली बच्चों का कार्यक्रम बन कर न रह जाए।** दिव्यांगों एवं बुजुर्गों की आनंद उत्सव के कार्यक्रमों में विशेष

भागीदारी सुनिश्‌चित करने के लिये उनके अनुकूल गतिविधियों का आयोजन किया जाना तय करें।

5. आनंद उत्सव में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी कराने के लिये जिले में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार अवश्य किया जाए। विशेष रूप से "आनंद उत्सव स्थल" से संबद्ध ग्रामों/ मोहल्लों में भी लोगों को इस आयोजन के बारे में अधिक से अधिक जागरूक किया जावे।

6. सभी आनंद उत्सव कार्यक्रमों में सम्माननीय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाये।

7. आनंद उत्सव **आयोजन के पूर्व**, तय किए गए "आनंद उत्सव स्थल" का पंजीयन तथा **कार्यक्रम के पश्चात**, आयोजित की गई गतिविधियों की जानकारी तथा फोटो राज्य आनंद संस्थान की वेबसाइट www.anandsansthanmp.in पर दर्ज की जाना होगी।

8. जिले में आनंद उत्सव आयोजन संबंधी समाचार जिले के नोडल अधिकारी अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से ''पहल'' पर अपलोड करेंगे जो वेबसाईट के आनंद उत्सव अथवा प्रमुख समाचार टेब में देखें जा सकेंगें।

9. आनंद उत्सवों के आयोजन में स्थानीय प्रशासन, ग्राम पंचायत एवं आनंद क्लबों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जिन स्थानों पर आनंद क्लब इस आयोजन का दायित्व स्वैच्छा से लेना चाहेंगे वहां उनको आनंद उत्सव की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है ।

10. विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित अनुसार आनंद उत्सव का आयोजन होगा:-

1- ग्रामीण क्षेत्र - दिनांक 14 से 21 जनवरी 2020

2- नगरीय क्षेत्र - दिनांक 14 से 21 जनवरी 2020

(3) आनंद उत्सव, 2020 आयोजन की प्रक्रिया :-

जिले में विभिन्न चरणों में आयोजित किए जाने वाले आनंद उत्सव की रूपरेखा निर्धारित करने तथा कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण के लिये जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा।

जिला स्तरीय समिति:-

1	कलेक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
3	आयुक्त, नगर निगम	सदस्य
4	जिला नोडल अधिकारी (अध्यात्म विभाग)	सदस्य सचिव
5	अनुविभागीय अधिकारी समस्त	सदस्य
6	उपसंचालक शहरी विकास	सदस्य

7	ड्रिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लीडर्स/ जिला संपर्क व्यक्ति (राज्य आनंद संस्थान)	सदस्य
8	आनंदम सहयोगी/ मास्टर ट्रेनर्स (जिन जिलों में कार्यरत है)	सदस्य
9	कलेक्टर द्वारा नामांकित अन्य सदस्य (जैसे – समन्वयक, जिला नेहरू युवा केन्द्र, जन अभियान परिषद, अन्य अधिकारी आदि)	सदस्य

3.1. ग्रामीण क्षेत्रों में आनंद उत्सव आयोजन की प्रक्रिया

1. जिला कलेक्टर, प्रत्येक विकास खण्ड में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिये संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को नियुक्त करेंगे।
2. आनंद उत्सव के पंचायत स्तरीय कार्यक्रमों की रूपरेखा निर्धारित करने तथा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा।

विकासखण्ड स्तरीय समिति :-

1	अनुविभागीय अधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जनपद पंचायत	सदस्य सचिव
3	पंचायत क्लस्टर स्तर के आनंद उत्सव के प्रभारी अधिकारी (समस्त)	सदस्य
4	ग्राम पंचायत सरपंच (किन्ही तीन क्लस्टर के)	सदस्य
5	आनंद क्लब के प्रतिनिधि	सदस्य
6	अनुविभागीय अधि. द्वारा नामांकित अन्य सदस्य	सदस्य

3. इस वर्ष स्तर पर उन्हीं ग्राम पंचायतों में आनंद उत्सव का आयोजन किया जाना है, जहां विगत वर्ष 2019 में आयोजन हुए थे। इसकी जानकारी राज्य आनंद संस्थान की वेबसाईट पर पूर्व से ही दर्ज है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी अपने लॉगइन पर देख सकते है। यदि किसी कारणवश स्थल विशेष में परिवर्तन किया जाना है अथवा गत वर्ष के स्थलों के अतिरिक्त नवीन स्थल को जोड़ा जाना है अथवा स्थल के सामने दर्शायी गयी तिथी/ लोकेशन (संबंद्ध पंचायत) में परिवर्तन किया जाना है तो यह कार्य किया जा सकेगा।
4. जिस ग्राम में आनंद उत्सव का आयोजन किया जावेगा, उसे नोडल ग्राम पंचायत कहा जायेगा। क्लस्टर की सभी ग्राम पंयायतें निर्धारित आनंद उत्सव स्थल में हिस्सा लेगी।
5. दर्ज जानकारी के आधार पर प्रत्येक “आनंद उत्सव स्थल” पर कार्यक्रमों के आयोजन के लिये रूपये 15,000/- तक का व्यय करने की अनुमति संबंधी आवश्यक निर्देश पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा पृथक से जारी किये जा रहे हैं। जिला पंचायत

स्तर उपलब्ध राशि (एकल खाते) में से 15,000/- रूपय तक की राशि प्रत्येक आयोजन स्थल वाली ग्राम पंचायत के खाते में स्थानांतरित की जावेगी। स्थानीय स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी इस हेतु आवश्यक नियोजन एवं अनुश्रवण करेगे।

6. प्रत्येक "आनंद उत्सव स्थल" पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा एक उपयुक्त अधिकारी को कार्यक्रम प्रभारी के रूप में नियुक्त किया जावेगा। यह अधिकारी किसी भी विभाग से हो सकते हैं, परन्तु उनकी इस प्रकार की गतिविधियों में रूचि होनी चाहिए।

8. प्रत्येक "आनंद उत्सव स्थल" पर कार्यक्रम के आयोजन के लिये निम्नानुसार '' **कार्यक्रम आयोजन समिति** '' गठित की जावेगी।

कार्यक्रम आयोजन समिति :-

1	कार्यक्रम प्रभारी	समन्वयक
2	समूह की पंचायतों के सरपंच/ सचिव	सदस्य
3	इच्छुक आनन्द क्लब के सदस्य	सदस्य
4	आनन्दक (स्वयं सेवक, जिनकी संख्या 6 से 8 तक रखी जा सकती है। जिले के पंजीकृत आंनदकों की सूची अनुविभागीय अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध है)	सदस्य
5	स्थानीय स्तर के अन्य शासकीय/ अशासकीय व्यक्ति जिन्हें कार्यक्रम प्रभारी (समन्वयक) आवश्यक समझें	सदस्य

9. आयोजन समिति में कार्यक्रम प्रभारी (समन्वयक) स्थानीय स्तर पर अन्य सदस्यों एवं आनन्दकों का चयन कर सकेंगे। कार्यक्रम की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि समिति में ऐसे आनंदकों (स्वयंसेवकों) को शामिल किया जाये जो उत्साही हों और जिनकी इस कार्यक्रम के आयोजन में रूचि हों। इनका चयन सरपंच/ पंचायत सचिव/ पंचायत में प्रभाव रखने वाले व्यक्तियों से विचार विमर्श कर किया जाये।

10. जिले के पंजीकृत आनंदकों एवं आनंद क्लबों की सूची अनुविभागीय अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध है।

3.2 नगरीय क्षेत्रों में आनंद उत्सव आयोजन की प्रक्रिया

1. प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में भी ''आनंद उत्सव'' का आयोजन किया जायेगा। नगरीय क्षेत्र की आबादी को देखते हुये प्रत्येक नगर में आवश्यकता अनुसार एक या एक से अधिक स्थलों पर आनंद उत्सव का आयोजन किया जा सकेगा। नगर में कितने स्थलों पर आनंद उत्सव का आयोजन किया जाना है, इसका निर्धारण संबंधित नगरीय निकाय द्वारा किया जायेगा जिनका पंजीयन राज्य आनंद संस्थान की वेबसाईट पर कार्यक्रम आयोजन के पूर्व किया जाना है।

2. नगरीय क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित करने के लिये कार्यक्रम निर्धारण का दायित्व आयुक्त/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरीय निकाय का होगा।

3. कार्यक्रम आयोजन के लिये पृथक से कोई आवंटन उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। इन कार्यक्रमों पर होने वाला व्यय स्थानीय स्तर पर भागीदारी के आधार पर अथवा स्वयं के स्त्रोतों/ साधनों से किया जा सकेगा। इस संबंध में आवश्यक निर्देश नगरीय प्रशासन विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी किये जावेगे ।

3.3 जिला-स्तरीय कार्यक्रम (दिनांक 25 से 28 जनवरी 2020- वैकल्पिक)

जिला कलेक्टर अगर चाहे तो जिला स्तर पर आनंद उत्सव का आयोजन कर सकेंगे, जिसकी सम्पूर्ण रूप-रेखा कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जायेगी। इस कार्यक्रम में भी टीमें/प्रतिभागी सीधे भाग ले सकेंगे। इस कार्यक्रम पर होने वाले व्यय के लिए संसाधन की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर भागीदारी के आधार पर की जा सकेगी। इसके लिए पृथक से कोई आवंटन उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा।

(4) वेबसाईट पर जानकारी अपलोड करने संबधी निर्देश :-

1. प्रत्येक **"आनंद उत्सव स्थल"** का पंजीयन राज्य आनंद संस्थान की वेबसाइट www.anandsansthanmp.in पर किया जाना अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्र के **"आनंद उत्सव स्थल"** का पंजीयन अनुविभागीय अधिकारी तथा नगरीय क्षेत्र का पंजीयन नगरीय निकाय प्रमुख द्वारा ही किया जा सकेगा ।

2. अनुविभागीय अधिकारी एवं नगरीय निकाय प्रमुख द्वारा "आनंद उत्सव स्थल" का पंजीयन करते समय आयोजित कार्यक्रम की जानकारी एवं फोटो/वीडियो अपलोड करने हेतु आनंदकों को अधिकृत कर सकेगें।

3. पंजीयन करते समय जिस "आनंद उत्सव स्थल" के लिए आनंदक को अधिकृत किया गया है, वह आनंदक अपने लॉगिन से उस "आनंद उत्सव स्थल" में आयोजित कार्यक्रम की जानकारी एवं फोटो/वीडियो अपलोड कर सकेंगे।

4.1 आयोजन पूर्व : -

1. जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को उनके लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग करते हुए उनके द्वोत्र में आयोजित किये जाने वाले “आनंद उत्सव स्थल” (इवेंटस) का पंजीयन एवं अपडेट करेंगे जिसके अंतर्गत आयोजन स्थल का नाम, विवरण, अयोजन दिनांक, आयोजन स्थल की लोकेशन आदि वेबसाइट पर दर्ज करानी होगी।

2. दर्ज की गयी सभी आयोजनों की सांख्यिकी वेबसाईट पर अद्यतन रहेगी जिसे वेबसाईट के होम पेज पर लाईव देखा जा सकेगा।

4.2 आयोजन पश्चात् : -

1. आयोजन पश्चात् जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं अधिकृत आनंदक, अपने लॉगिन से उनके क्षेत्र में

आयोजित आनंद उत्सव का संक्षिप्त विवरण, फोटो/ वीडियो की जानकारी संस्थान की वेबसाइट पर पूर्व में पंजीकृत आयोजन स्थल की प्रविष्टि के समक्ष 5 फरवरी 2020 तक अपलोड कर सकेंगे। अधिकतम 3 फोटो (3 एमबी प्रति फोटो) एवं 1 वीडियों (2 मिनिट तक का) ही अपलोड किये जा सकेंगे।

2. प्रत्येक आयोजन स्थल का संक्षिप्त विवरण निम्न बिंदुओं के आधार पर दिया जायेगा:- आनंद उत्सव में भाग लेने वाले नागरिकों की संख्या एवं सामान्य व्यवस्था, आयोजित खेल कूद की संख्या, आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम की गुणवत्ता, कार्यक्रमों का मीडिया कवरेज, सभी आयु वर्ग एवं महिलाओं की सहभागिता, आनंद उत्सव में उत्साह और भागीदारी का स्तर आदि।

3. जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी अपने लॉगइन पासवर्ड के द्वारा आनंद उत्सव स्थल की जानकारी का किसी भी समय अवलोकन कर समीक्षा कर सकते है।

** नोट- वेबसाईट पर आनंद उत्सव स्थलों की जानकारी दर्ज करने के संबंध में विस्तृत यूजर मैन्युअल संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

(5) पुरस्कार (आयोजन स्थल पर प्रतिभागियों एवं टीम सदस्यों को पुरस्कार):-

1. आनंद उत्सव समाप्ति के पश्चात आनंद उत्सव के दौरान आयोजित खेल-कूद एवं कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को उनकी सहभागिता, सक्रियता, जोश प्रदर्शन के आधार पर कार्यक्रम पश्चात पुरस्कृत किया जाये। आनंद उत्सवों के कार्यक्रमों में भागीदारी करने वाले सभी महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगों को विशेष रूप से पुरस्कृत किया जावे (पुरस्कार के लिए परिशिष्ट-1 में बताये अनुसार संलग्न प्रारूप में प्रमाण पत्र दिये जायेंगे।) इन प्रमाणपत्रों को स्थानीय स्तर पर प्रिंट कराकर प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वह कार्यक्रम के तत्काल बाद मुख्य अतिथि से इनका वितरण करा सके। जनप्रतिनिधियों/ गणमान्य नागरिकों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जावे ।

(6) फोटो एवं वीडियो प्रतियोगिता:-

1. आनंद उत्सव आयोजनों के पश्चात् इन कार्यक्रमों के फोटो एवं वीडियों के लिये एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। यह प्रतियोगिता आयोजन की गतिविधियों के फोटो/वीडियो पर आधारित होगी। यह प्रतियोगिता सभी के लिए खुली है। आनंद उत्सव कार्यक्रम से जुड़े नागरिक / आनंदक / आयोजक भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। अधिक से अधिक लोगों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाये। विजेता प्रतिभागियों को निम्नानुसार पुरस्कार राशि प्रदान की जावेगी :-

पुरस्कार	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
फोटो	25000	15000	10000
वीडियो	25000	15000	10000

2. कोई भी इच्छुक नागरिक राज्य आनंद संस्थान की वेबसाईट www.anandsansthanmp.in के अवसर टेब पर बनाये गये लिंक पर दिनांक 05/02/2020 तक स्वयं की जानकारी सहित आयोजन की फोटो और वीडियो अपलोड कर सकेगा। प्रत्येक प्रतिभागी अधिकतम 3 फोटो एवं 2 वीडियो ही अपलोड कर सकेगा। वीडियो लगभग 2 मिनिट तथा फोटो का साईज 3 एमबी तक का हो सकता है। जिस नाम से फोटो / वीडियो अपलोड किया जायेगा, पुरस्कार की राशि उसी व्यक्ति को देय होगी

(7) अन्य:-

कार्यक्रम के आयोजन करने के संबंध में संक्षिप्त मार्गदर्शिका संस्थान की वेबसाइट www.anandsansthanmp.in पर उपलब्ध है।

कृपया अपने जिले की विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर तय किये गये **सभी "आनंद उत्सव स्थलों"** की जानकारी दिनांक **20 जनवरी 2020** तक तथा आनंद उत्सव कार्यक्रम सपंन्न होने के पश्चात कार्यक्रम का विवरण एवं फोटो दिनांक **5 फरवरी 2020** तक संस्थान की वेबसाइट पर दर्ज करवाने का कष्ट करे।

(मनोज श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन
अध्यात्म विभाग
भोपाल, दिनांक 16.01.2020

क्र० 66/ आ०वि०/ आ० उत्सव/2020
प्रतिलिपी : - सूचनार्थ।

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री, अध्यात्म विभाग।
3. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
4. प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग।

अपर मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन
अध्यात्म विभाग

परिशिष्ट -1

<u>प्रमाण पत्र प्रारूप</u>

आनंद उत्सव कार्यक्रम 2020

श्री/सुश्री........................(प्रतियोगी का नाम) (ग्राम पंचायत, वार्ड, नगरीय निकाय का नाम) ....ने आनंद उत्सव कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित..................(गतिविधि का नाम) में हर्ष एवं उल्लास के साथ भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया।

कलेक्टर

जिला.................

(आनंद उत्सव 2020)

<u>वेबसाईट पर जानकारी अपलोड करने संबंधी यूजर मैन्युअल</u>

1) राज्य आनंद संस्थान द्वारा पूर्व से ही सभी 51 जिलो के नोडल अधिकारियों को लॉग-इन आई डी/ पासवर्ड उपलब्ध कराये गए है | नोडल अधिकारी के लॉग-इन पर सम्बंधित जिले के SDO /CMO/ Commissioner के लॉग-इन आई-डी/ पासवर्ड की सूची उपलब्ध है जिसे नोडल अधिकारी के लॉग-इन पर निम्न प्रकार से देखा जा सकता है :

2) List of SDO's / CMO's / Commissioner at Nodal Officer Login: उपरोक्तानुसार सूची में अंकित नंबर पर क्लिक करने पर सम्बंधित जिले के SDO /CMO /Commissioner की सूची निम्नानुसार प्रदर्शित होगी | नोडल अधिकारी यह लॉग-इन आई-डी पासवर्ड की जानकारी अपने जिले के सम्बंधित SDO /CMO / Commissioner को उपलब्ध करवाये |

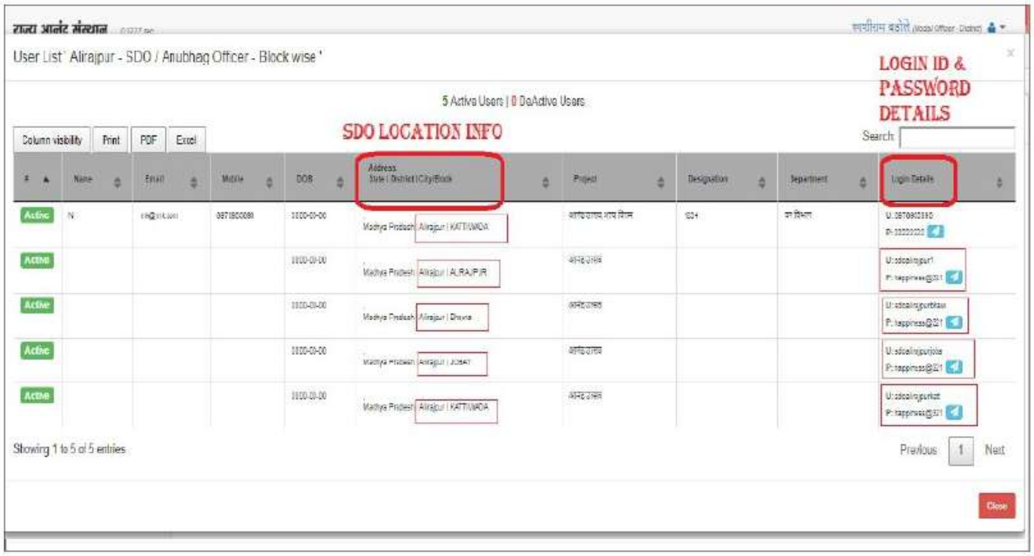

3) SDO /CMO / Commissioner लॉग-इन के लिए :-

समस्त SDO /CMO / Commissioner अपने लॉग-इन आई-डी एवं पासवर्ड जिले के नोडल अधिकारी(आनंद विभाग) से प्राप्त करें। होम पेज पर लॉग-इन टेब पर SDO /CMO / Commissioner के रूप में लॉगइन करें।

4) आनंद उत्सव स्थल की जानकारी दर्ज करने के लिए :-

a. जिस स्थल पर भी आयोजन किया जाना हो, उस जानकारी को निम्नानुसार दर्ज किया जा सकेगा | इसके लिए "+Add New Event" पर क्लिक करें | "आनंद उत्सव स्थल" की जानकारी दर्ज करते समय निम्नानुसार विंडो खुलेगी :

b. “आनंद उत्सव स्थल” का पंजीयन करने हेतु निम्नानुसार प्रारंभिक जानकारी दर्ज करें

i) आयोजन स्थल स्तर
   a. SDO :
      - ग्रामीण स्तर
      - विकास खंड (जनपद) स्तर
   b. CMO /Commissioner:
      - नगरीय स्तर
   c. Nodal Officer:
      - जिला स्तर

ii) आयोजन स्थल प्रकार
   a. SDO :
      - ग्राम पंचायत
      - जनपदपंचायत (विकासखंड)
   b. CMO /Commissioner:
      - नगरनिगम
      - नगरपालिका
      - नगरपरिषद्
      - नगर पंचायत
   c. Nodal Officer:
      - जिला

iii) आनंद उत्सव आयोजन स्थल का नाम

iv) आयोजन स्थल विवरण : आयोजन स्थल का पूर्ण पता ग्राम पंचायत के नाम सहित दर्ज करें

v) आयोजन प्रारंभ तिथि एवं आयोजन अंतिम तिथि दर्ज करें

5) **“आनंद उत्सव स्थल” पंजीयन करने के पश्चात उसमें शामिल क्षेत्रों के नाम जोड़ने के लिए :**

a) **ग्रामीण स्तर में ग्राम पंचायतों के नाम जोड़ने के लिए (SDO लॉग इन):**

प्रत्येक आनंद उत्सव स्थल में शामिल की जाने वाली ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए “Location” टैब पर क्लिक करें | उदाहरण के लिए यदि एक “आनंद उत्सव स्थल” में 3 ग्राम पंचायतों का क्लस्टर बनाया गया है, तो एक एक करके तीनो ग्राम पंचायत का नाम drop-down लिस्ट में से “add” करना होगा | **ग्राम पंचायतों के नाम जोड़ने के बाद “submit” टैब पर क्लिक करना अनिवार्य होगा |**

b) **नगरीय स्तर में स्थान के नाम जोड़ने के लिए (CMO/Commisioner लॉग इन):**

नगरीय स्तर पर location टैब पर अपना नगरीय क्षेत्र जोड़े |

c) **विकासखंड स्तर में विकासखंड जोड़ने के लिए(SDO लॉग इन):**

विकासखंड स्तर पर location टैब पर अपने स्थल जोड़े |

d) **जिला स्तर में स्थान का नाम जोड़ने के लिए (Nodal ऑफिसर लॉग इन):**

जिला स्तर पर location टैब पर अपना स्थल जोड़े |

6) **आनंद उत्सव रिपोर्ट को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए आनन्दकों को अधिकृत निम्नानुसार किया जा सकता है : (**आनंदक अपने लॉगइन पासवर्ड के माध्यम से आयोजन का विवरण एवं फोटो/वीडियो अपलोड कर सकेंगे)

7) **आनंद उत्सव उपरान्त "उत्सव रिपोर्ट " अपलोड करने के लिए:**

"उत्सव रिपोर्ट" (कार्यक्रम उपरान्त) दर्ज करने हेतु अधिकृत आनंदक को उनके आनंदक लॉग इन पर यह विकल्प "उत्सव अधिकृत आनंदक" के टैब पर उपलब्ध होगा |

8) **उपरोक्तानुसार दर्शाए गए टैब पर क्लिक करके "उत्सव रिपोर्ट" अपलोड की जा सकेगी | रिपोर्ट अपलोड करने के लिए निम्नानुसार फॉर्म पर जानकारी अंकित की जाएगी :-**

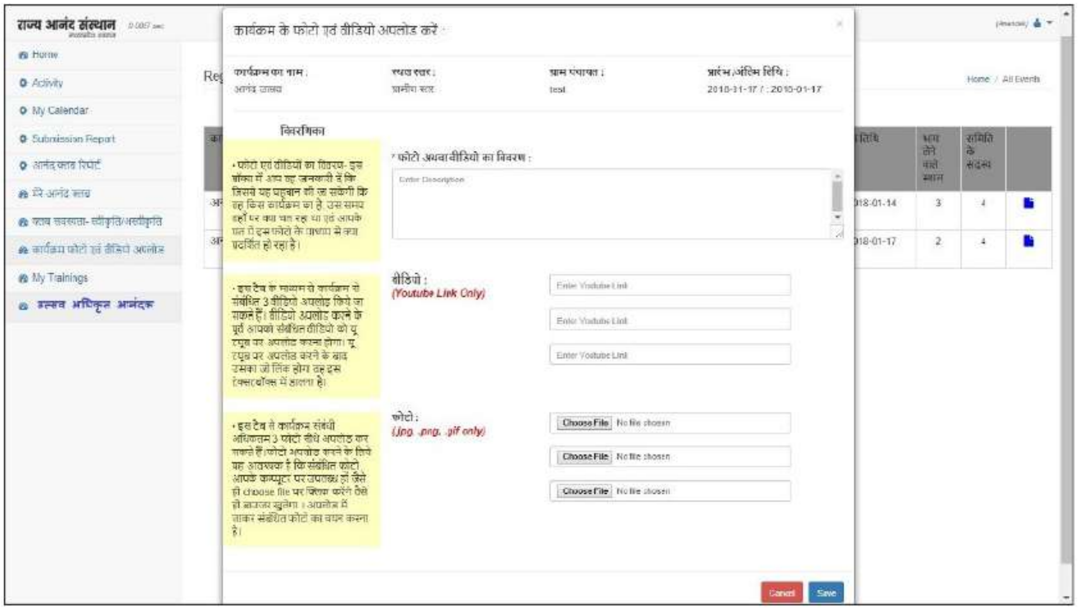

9) आनंद उत्सव उपरान्त आयोजन का संक्षिप्त विवरण अपलोड करने के लिए: (संक्षिप्त विवरण में स्क्रीन पर दर्शायी जानकारी दर्ज की जानी है)